ालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ब्या–59/2023
वेष्टि दिनांक–13.09.2023
ांक–09.01.2025

ा पुत्र छीतरलाल चौधरी दत्तक पुत्र सुखदेवा जाति जाट निवासी ग्राम ईशाकपुरा तहसील पीपलू ोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

ार पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थी–श्री विवेक चौधरी
तहसीलदार पीपलू

आवेदन बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 123, 165, 170, 172, 18, 191, 02, 20, 03 कुल किता 11 कुल रकबा 12.4806 हैक्ट. व भूमि आराजी , 273 कुल किता 02 कुल रकबा 0.8219 हैक्ट. व ख0न0 21 रकबा 3.2751 हैक्ट. व ख0न0 05 रकबा ट. वाके ग्राम ईशाकपुरा, पटवार हल्का निम्हेडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित के प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम सुखेदवा अंकित है। प्रार्थी के हक में दिनांक 01.07.2002 को ेष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाया गया है। किन्तु प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड के अतिरिक्त सभी दस्तावेज में ाकृतिक पिता का नाम छीतरलाल का ही नाम दर्ज है। जिसकी वजह से प्रार्थी को अनेको परेशानियो करना पड रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित ख0न0 के राजस्व रिकॉर्ड में दत्तक पिता के इन्द्राज से प्राकृतिक पिता छीतरलाल का नाम भी दर्ज करवाना चाहता है ताकि उसकी वल्दीयत को लेकर सि कोई परेशानी न हो। जिसके लिए प्रार्थी की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः आवेदन दुरूस्ती तुत कर निवेदन है की प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित ख0न0 के राजस्व प्रार्थी के दत्तक पिता सुखदेवा से पूर्व प्राकृतिक पिता छीतरलाल (ऋषिराम पुत्र छीतरलाल एवं दत्तक ा) दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई एवं विवादित आराजीयात के संबंध में रिपोर्ट चाही गई है। अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से प्राप्त जवाब प्रार्थना पत्र ख0न0 123, 132, 133, , 172, 18, 191, 02, 20, 03 कुल किता 11 कुल रकबा 12.4806 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 192, किता 02 कुल रकबा 0.8219 हैक्ट. व ख0न0 21 रकबा 3.2751 हैक्ट. व ख0न0 05 रकबा 1.4795 ग्राम ईशाकपुरा, पटवार हल्का निम्हेडा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी ऋषिराम दत्तक पुत्र सुखदेव सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दत्तक पिता का नामा अनुसार सुखदेव अंकित है। जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार दाता पहचान पत्र, अंकतालिका, शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा जाति प्रमाण पत्र और मौका रिपोर्ट कपुरा के आधार पर अपने नाम में ऋषिराम पुत्र छितरलाल दत्तक पुत्र सुखेदव जाति जाट दर्ज करवाना

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 133, 165, 170, 172, 18, 191, 02, 20, 03 कुल किता 11 कुल रकबा 12.4806 हैक्ट. व भूमि आराजी 2, 273 कुल किता 02 कुल रकबा 0.8219 हैक्ट. व ख0न0 21 रकबा 3.2751 हैक्ट. व ख0न0 05 रकबा क्ट. वाके ग्राम ईशाकपुरा, पटवार हल्का निम्हेडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित त के प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम सुखेदवा अंकित है। प्रार्थी के हक में दिनांक 01.07.2002 को निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाया गया है। किन्तु प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड के अतिरिक्त सभी दस्तावेज में प्राकृतिक पिता का नाम छीतरलाल का ही नाम दर्ज है। जिसकी वजह से प्रार्थी को अनेको परेशानियो ा करना पड रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित ख0न0 के राजस्व रिकॉर्ड में दत्तक पिता के इन्द्राज से प्राकृतिक पिता छीतरलाल का नाम भी दर्ज करवाना चाहता है ताकि उसकी वल्दीयत को लेकर सिी कोई परेशानी न हो। अतः आवेदन दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थी का आवेदन स्वीकार जाकर उक्त वर्णित ख0न0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दत्तक पिता सुखदेवा से पूर्व प्राकृतिक पिता (ऋषिराम पुत्र छीतरलाल एवं दत्तक पुत्र सुखेदवा) दर्ज किये जाने का आदेश किया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार ने भी अपनी बहस में बंताया की उक्त वर्णित आराजी ख0न0 123, 132, 133, 165, , 18, 191, 02, 20, 03 कुल किता 11 कुल रकबा 12.4806 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 192, 273 ा 02 कुल रकबा 0.8219 हैक्ट. व ख0न0 21 रकबा 3.2751 हैक्ट. व ख0न0 05 रकबा 1.4795 हैक्ट. ईशाकपुरा, पटवार हल्का निम्हेडा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी ऋषिराम दत्तक पुत्र सुखदेव जाति देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम अनुसार सुखदेव अंकित है। जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, अंकतालिका, शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा जाति प्रमाण पत्र और मौका रिपोर्ट ग्राम के आधार पर अपने नाम में ऋषिराम पुत्र छितरलाल दत्तक पुत्र सुखेदव जाति जाट दर्ज करवाना

ड अधिकारी
लू (टोंक)

Scanned with CamScanner

रपंच ग्राम पंचायत निम्हेडा दिनांक 02.08.2024 के प्रमाण पत्र अनुसार ऋषिराम जो की ग्राम
ा रहने वाला है। जिसका गोदनामा 01 जुलाई 2002 को ऋषिराम दत्तक पुत्र सुखदेवा के नाम हुआ
प्राकृतिक पिता छीतरलाल है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में ऋषिराम दत्तक पुत्र सुखदेव है और अन्य
ऋषिराम पुत्र छीतरलाल है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में ऋषिराम पुत्र छीतरलाल एवं ऋषिराम दत्तक
करवाना चाहता है, जो सही है।

ने पत्रावली, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड प्रति, जन आधार कार्ड प्रति, परिवार
प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
ारा जारी अंकतालिका (2013) की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी अंकतालिका
प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत निम्हेडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, **संलग्न गोदनामा** व तहसीलदार पीपलू
ोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। **संलग्न गोदनामे** के अवलोकन से
ी दिनांक 01.07.2002 को प्रार्थी के पक्ष में दत्तक माता गुलाब बेवा सुखेदव जाट व प्राकृतिक
की उपस्थिती किया गया है। जिसका उपपंजीयक पीपलू द्वारा विधिवत् रजिस्ट्रेशन किया गया है।
ही उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम का अंकन दत्तक पुत्र के हैसियत से है। राजस्व रिकॉर्ड के
्वं तहसीलदार पीपलू के जवाब से भी स्पष्ट है की उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में खातेदार सुखदेवा
त जाति जाट के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो उनके फोत होने के बाद उनके सभी
के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है। चूंकि गोदपुत्र की हैसियत से ही प्रार्थी ऋषिराम दत्तक पुत्र
नाम दर्ज हुई है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटी कारित होना स्पष्ट नही
ार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.01.
रे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम
मानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(अनिता अनुरागी खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner